

02-26

पत्रावली पेश हुई बलुलाल पद्मकाराण उपस्थित।  
हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्त्रागण को सुन  
गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं  
इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का बलीगीति  
अवलोकन किया गया। जिससे हम शकरीजे पर  
पहुँचे हैं कि पिछादि आराजी में भूखि का बर्ड  
मीट्स एंड लाइव विगाज नही हुआ है अतः  
सहस्रौदमान का प्रत्येक का प्रत्येक इंच पर  
कब्जा माना जाना वाजिब है।

एकी सूरत में अनापश्यत मुकदमा बाजी  
नही बदे। एवं काबूकी चेचीदगी का पैदा नही हो।  
इसको ध्यान में रखते हुए प्रथम पत्र प्राचीन  
स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा  
द्वारा जारी शुदा अस्माई निषेधाज्ञा दिनांक  
22.07.2025 को रॉफेसला भूलवा 4 पुष्ट किया  
जाता है।

पत्रावली के साथ सुमार होकर नंबर 15  
कम हो, बाद तकमील जाया दाखिल दफ्तर  
हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मुसावर (भरतपुर) राजग